रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट **www.dhr.gov.in** लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु **log in** करें **www.behm.org.in**

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –20 ● कानपुर 16 से 31 अक्टूबर 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट का विकल्प

राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथों को रजिस्ट्रेशन देने की पहल

केन्द्र सरकार द्वारा क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट जारी किया गया है इसके अनुसार देश में प्रचलित सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है, इस कानून को राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना है और देश के अनेक राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है, जिसके दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य से दिखायी भी पड़ रहे हैं संयोग है कि छत्तीसगढ़ राज्य के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक एवं संगठन इसकी भावना को समझे बिना ही न्यायापालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी इस कानून की भावना को समझने का प्रयास नहीं कर रही है दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक / संस्थायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बजाये वैकल्पिक शब्द का प्रयोग कर रही हैं जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, इसी कारण समस्या लगातार गम्भीर बनी हुई है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मज़बूत स्थिति भी इनके कुप्रयासों से कमज़ोर हो रही है जबकि केन्द्र सरकार लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक न होने की बात कह रही है।

क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट प्रभावी होने के बाद उ0प्र0 सरकार ने एक ओर जहाँ इसे राज्य में लागू न करने की बात कही है वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों / चिकित्सालयों के पंजीयन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें क्रमशः निदेशक (होम्योपैथी) उ0प्र0, लखनऊ, निदेशक (चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ, वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ सदस्य के रुप में नामित हैं। यह समिति इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन अनुसंधान तथा विकास कार्य एवं प्रैक्टिस करने हेतु नये नियम / विनियम बनाये जाने हेतु शासन को सुसंगत प्रस्ताव / संस्तुति उपलब्ध करायेगी।

सरकार ने इस शासनादेश को प्रभावी करने के लिए एक अन्य शासनादेश जारी कर समयबद्ध कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश जारी किये हैं सरकार के इस शासनादेश को क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा, शिक्षा रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान, विकास कार्य, एवं प्रैक्टिस कर रहे लोगों के लिए लागू करने के लिए एक पहल है।

जहाँ एक ओर केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतिको मान्यता देने हेतु सतत प्रयत्नशील है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता के लिए राज्य में लगभग 65 वर्षों से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को उचित अवसर प्रदान करने का मन बना रही है, इसी उद्देश्य से सरकार लगातार निरीक्षण एवं परीक्षण भी समय–समय पर करती रहती है जिसका कुप्रचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वह संगठन जो अपने आप को स्थापित करने का असफल प्रयास करते रहते हैं वह अपना हित तो नहीं कर पाते हैं बल्कि दूसरों का नुकसान अवश्य कर देते हैं परोक्ष रुप से वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ही नुकसान करते हैं, जबकि सरकार लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित होने के लिए अवसर प्रदान करती रहती है, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को चाहिये कि वह चिकित्सा के माध्यम से लोक कल्याण की भावना से प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दें।

- उ0प्र0 सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उचित स्थान देने का मन बना चुकी है
- ✓शीर्ष संस्थायें अपने शिक्षण संस्थानों के मानकों का समय–समय पर निरीक्षण करें
- आपसी प्रतिस्पर्धा से बचें
- इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कुप्रचार करने वाले संगठन होश में आ जायें
- ✓भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये दिये गये अवसरों का लाभ उठायें
- सरकार तो पहल कर ही रही है
- ✓इहमाई कृतसंकल्प है कि सरकार की पहल का लाभ हर एक को मिले

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति में नव मनोनीत सदस्य डा0 आमिर बिन साबिर – छाया गज़ट

सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान तथा विकास कार्य एवं प्रैक्टिस करने हेतु गठित समिति अपना कार्य करना आरम्भ करे इससे पूर्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं को चाहिये कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर लें ताकि कमेटी द्वारा निरीक्षण के समय कोई असुविधा न हो।

विदित हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुरूप आवश्यक मानक जारी किये हैं जिसके अनुसार प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता ,पाठ्यक्रम की अवधि(याँ) आवश्यक एवं वांछनीय भवन, शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारी की योग्यता,पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालायें, चिकित्सालय आदि निर्धारित किये हैं, इन मानकों को पूरा करना परम आवश्यक है यदि इन मानकों में कमी पायी जाती है तो उन संस्थाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और सरकार द्वारा दिये गये अवसर से आप वंचित रह सकते हैं इसलिए शिक्षण संस्थाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और शीर्ष संस्थाओं को भी चाहिये कि वह अपने शिक्षण संस्थाओं का समय–समय पर निरीक्षण कर मानक पूरे करने हेतु निर्देश जारी करें।

इसी क्रम में औषधि निर्माताओं को भी अपनी व्यास्थायें तुरन्त ठीक कर लेनी चाहिये क्योंकि निरीक्षण / परीक्षण के समय उनका भी मूल्यांकन हो सकता है।

जिन राज्यों में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट प्रभावी हो गया है उन राज्यों में चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के निरीक्षण के समय उपलब्ध औषधियों का ब्योरा मांगा जा सकता है, जिसमें औषधियों की उपलब्धता / गुणवत्ता का भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, इससे जहाँ चिकित्सकों को प्राप्त होने वाली औषधियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है वहीं औषधि निर्माताओं पर **F.D.A.** का शिकंजा भी कस सकता है, यदि समय रहते इसपर ध्यान न दिया गया तो स्थिति गम्भीर हो सकती है, इससे केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि निर्माताओं को ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का भी नुकसान हो सकता है।

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए वातावरण अनुकूल है इसलिए औषधि निर्माताओं के साथ–साथ विक्रेताओं एवं इससे जुड़े हर सदस्य को अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार रहना चाहिये जिससे सरकार द्वारा दिये गये अवसर का पूर्ण लाभ मिल सके।

सरकार तो पहल कर रही है परन्तु कुछ संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो जाने अनजाने ऐसे कार्य कर रहे हैं जो पद्धति के हित में कदापि नहीं है, उनको चाहिये कि वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अवसरों का लाभ उठायें, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करके पद्धति के हित में लगें यदि पद्धति का हित होगा तो उनको भी लाभ अवश्य मिलेगा, यह बात उनको समझनी चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया कृतसंकल्प है कि सरकार द्वारा की गयी पहल का लाभ हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को मिले इसके लिए वह व्यापक रणनीति पर विचार भी कर रही है जो शीघ्र ही शासन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

एक अच्छी पहल

उत्तर प्रदेश देश का एकलौता राज्य है जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सदैव ही सकारात्मक परिणाम दिये हैं चाहे सन् 1953 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रोगियों की चिकित्सा का मामला हो या फिर आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी के कालेजों के प्रान्तीकरण के समय इलेक्टो होम्योपैथी का अस्तित्व को बचाये रखने की बात हो। सदैव ही राज्य सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है इसी का परिणाम है कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को होम्योपैथी से भिन्न माना है परिणामोस्वरुप उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रुप में ही प्रचलित एवं संचालित है।

उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि वह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे चिकित्सा विभाग द्वारा शासनसदेश प्राप्त हुआ है, बात यहीं नहीं समाप्त होती है अपितु राज्य के चिकित्सा विभाग के मुखिया महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रदेश के सभी मण्डलीय एवं ज़िला मुख्य चिकित्साधिकारियों (C.M.O.) को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा एवं शिक्षा के क्रम में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

देश में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट वर्ष 2010 में लागू किया गया था जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शासनादेश क्रमशः 2011 व 2012 में जारी किये गये, इसलिये सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की व्यवस्था बनी रहे एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनका अधिकार सुनिश्चित हो सके, सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीकरण की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने व सम्भावनाओं को तलाशने के लिये महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में एक समिति के गठन हेतु शासनादेश जारी किया इस समिति में प्रदेश में होम्योपैथी विभाग के निदेशक एवं चिकित्सा उपचार के निदेशक को प्रमुःख रुप से सम्मिलित किया गया, विदित हो कि होम्योपैथी विभाग के निदेशक पर प्रदेश की होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा का दायित्व होता है इसी प्रकार निदेशक चिकित्सा उपचार पर एलोपैथी की चिकित्सा का दायित्व होता है।

इससे एक बात तो स्पष्ट झलकती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा के मूल्यांकन हेतु चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के निदेशकों को विशेष रुप से सम्मिलित किया गया है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की क्लीनिकल दक्षता के मूल्यांकन हेतु इस समिति में राज्य मुख्यालय के मुख्य चिकित्सधिकारी (C.M.O.) को भी इस समित में सम्मिलित किया गया है, इस गठन से यह सिद्ध होता है कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये गम्भीर हो चुकी हैं सरकार की मंशा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वह स्थान अब दे ही देना चाहिये जिसकी वह वास्तव में हकदार है।

सरकार कितनी गम्भीर है इसका अन्दाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कमेटी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये योग्य एवं विशेषज्ञ लोगों को ही रखा गया है सरकार को यह भी पता है कि क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट के लागू होने के पश्चात सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सधिकारी (C.M.O.) को ही सामना करना होगा इस दृष्टिकोण से कमेटी में विशेष रुप से मुख्य चिकित्सधिकारी (C.M.O.) को रखा गया है ताकि भविष्य में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट के कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बद्ध चिकित्सकों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी अन्य चिकित्सा पद्धति की भाँति विकास करने का पूर्ण अवसर मिले एवं आज जो कठिनाइयां इलेक्ट्रो होम्योपैथों को अनावश्यक हो रही हैं उससे भी इलेक्ट्रो होम्योपैथों को छुटकारा मिल सके तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अपनी पृथक पहचान भी मिल सके, आज जो मुख्य चिकित्सधिकारी (C.M.O.) के अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारी का बर्ताव इलेक्ट्रो होम्योपैथों के प्रति है उसे पूर्ण विराम मिल सके और प्रदेश की जनता को अबाध रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

इन्तेज़ार की घड़ियाँ खत्म

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अच्छे दिन आने वाले हैं

प्रधानमंत्री का नारा– " सबका साथ – सबका विकास " किसी के लिये हो या न हो परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये साकार होते दिख रहा है, ऐसी झलक दिखने लगी है कि वह दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भी सरकारी अस्पतालों में दिखनें लगेंगे, वर्षो से चली आ रही उहापोह की स्थिति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, जो लोग कहा करते थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कुछ नहीं होने वाला है उनके मुँह पर ताले लगने वाले हैं सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का पत्र व्यवहार जोरों पर है एक नई दिशा बनने वाली है,

जो जागे गा ,वही पायेगा वाली कहावत यर्थात होने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपना मन पहले ही बना चुकी है वह इस प्रयास में है कि वर्षो से प्रतीक्षित इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अब सही समय आ गया जब उसे उसका वास्तविक स्थान दे दिया जाये, तभी तो प्रदेश सरकार जल्दी–जल्दी शासनादेश कर रही है ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

पिछले एक वर्ष से निरन्तर अर्थात 28 फरवरी, 2017 से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये भारत सरकार द्वारा जो मैकेनिज्म की कार्यवाही चल रही है, चरणबद्ध ढंग से निरन्तर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है, सरकार की मंशा जानकर अब अधिकारी भी मीटिंग पर मीटिंग व वार्तायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कर रहे हैं अन्दर की गोपनीय बातें भी बाहर बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है, कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, होता अन्दर कुछ है और बाहर आकर लम्बी–लम्बी फेंकने से वे आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमसे सरकारी अधिकारी ने यह प्रश्न पूछा तो मैंने अपना उत्तर देकर उन्हे लाजवाब कर दिया जबकि वास्तव में उनसे किसी प्रकार का प्रश्न किया ही नहीं गया, वे अपनी लच्छेदार बातों से भोले भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भ्रमित करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं वे ऐसा इसलिये भी करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के बीच उनकी छवि में चार चाँद लग जाये और उनकी छवि जो पहले खराब हो गयी थी भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पुनः उनका गुणगान करने में जुट जायें और नेता जी के नाम से जो कभी पहले नारे लगा करते थे फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाये, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार द्वारा निरीक्षणोपरान्त जो भी कार्यवाही की जा रही है वह लिखित में जारी की जा रही है और सरकार को जो भी वांछित है उसकी बराबर माँग की जा रही है।

सरकार की इस प्रकार की कार्य शैली से स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि सरकार की दृष्टि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक बन चुकी है अब सरकार स्वयं चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित होने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाये जिससे वर्षो से प्रतीक्षारत हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकार पूर्वक स्वरोजगार कर सकें।

सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार वर्ष 2019 को दृष्टिगत रखते हुये सरकार चाहती है कि लोक सभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कुछ भला कर दिया जाये और सम्पूर्ण भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को कौशल विकास योजना से जोड़कर एक भारी संख्या को लोकसभा के चुनाव में जोड़कर अपने विकास की सूची में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मिलित कर एक नया आयाम देकर जनता को भी अवगत करा दिया जाये कि कई वर्षों से लाम्बित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो कि एक सुलभ चिकित्सा पद्धति है जिसपर पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था उसको इस सरकार ने सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो निश्चित जानिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथों का भविष्य उज्जवल हो जायेगा।

इस बात के संकेत केन्द्र सरकार से ही नहीं अपितु राज्य सरकारों से भी प्राप्त हो रहे हैं, सूत्रों एवं ज्योतिष्यों के अनुसार बताया जा रहा है कि भाजपा शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं इसमें कुछ राज्यों से मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी सूचनायें वाइरल हो रही हैं जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सरकार कुछ तो अन्दर ही अन्दर कर रही हैं।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार अग्रणीय की भूमिका में है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार नें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन के सम्बन्ध में एक शासनादेश फिर जारी कर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रति संवेदनशील है और वह इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय लेने वाली है।

सरकार ने यदि अपना मन बना ही लिया है तो निश्चित जानिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसका वास्तविक स्थान मिलने जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सरकार ने लोक सभा चुनाव के पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कुछ अच्छा कर दिया तो उन शीर्ष संस्थाओं का और उनसे सम्बद्ध संस्थानों का क्या होगा ?क्या वे इन बदली हुयी परिस्थितियों के लिये अपने आपको तैयार किये हुये हैं !

बदली हुयी नई परिस्थितियों में उन संस्थाओं का क्या होगा ?जिन्होंने माननीय न्यायालय एवं सरकार के आदेशों की अब तक परवाह नहीं की है, जिन्हें अपने छात्रों एवं चिकित्सकों का ब्योरा साझा करने की आदत आज तक नहीं पड़ पाई है, उनके पास आज भी कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे उनकी संस्थाओं के ब्योरों (Data) का सत्यापन सहजता से किया जा सके, अनेकों संस्थायें ऐसी भी हैं जिनके वेब–पोर्टल तो हैं परन्तु उनपर सूचनायें अपडेट नहीं की जाती हैं यदि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उन्हें अभी से ही वे सारी कमियां दूर कर लेनी चाहिये जिसकी आवश्यकता कल पड़ने वाली है, समय से जो भी कार्य किया जाता है वह आसानी से, सहजता से, सुगमता से हो जाता है शून्यकाल (Zero Hours) में कार्य करने में वह सहजता व सुगमता नहीं रहती क्योंकि उस समय तो भागम–भाग वाला समय रहता है और जल्दबाज़ी में किया गया कार्य कभी भी फलदायी नहीं होता है उसमें कहीं न कहीं कमी अवश्य रह जाती है और अच्छा खासा बनता हुआ काम भी बिगड़ने लगता है

देश की अनेकों संस्थाओं का मोह आज तक भंग नहीं हो पाया है वे आज भी न्यायलय एवं सरकार के आदेशों/ निर्देशों के उपरान्त बैचलर / मास्टर व अन्य डिग्री / डिपलोमा जारी कर रहे है जो न सिर्फ न्यायलय की अवमानना अपितु सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन भी कर रहे हैं।

समय रहते यदि अपने व्यवहार व कार्य शैली में परिवर्तन नहीं लायेंगे तो निःसन्देह आपको क्षति हो सकती है।

अब उत्तर प्रदेश में भी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी सरकारी संरक्षण की ओर

चिकित्सकों में हर्ष की लहर

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रति सकारात्मक सोच होने के कारण आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों में हर्ष की लहर है यह बात बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0एच0 इदरीसी ने बोर्ड द्वारा सम्बद्ध इन्सटीट्यूट/स्टडी सेन्टर्स के संचालकों की बैठक में कही बैठक को सम्बोधित करते हुए डा0 इदरीसी ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रदेश की योगी सरकार बहुत ही गम्भीर है इसका जीता जागता उदाहरण है कि राज्य सरकार ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें क्रमशः निदेशक (होम्योपैथी) उ0प्र0,लखनऊ, निदेशक (चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0,लखनऊ, वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ सदस्य के रुप में नामित किये गये हैं, यह समिति इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन आदेशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों, प्रश्नगत विधा से चिकित्सा/ शिक्षा/ अनुसंधान/ आदि कार्यों हेतु अन्य राज्यों में विद्यमान नियमों आदि का अध्ययन / परीक्षण करते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रशिक्षित व्यक्तियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान विकास कार्य एवं प्रैक्टिस करने हेतु नये नियम/विनियम बनाये जाने हेतु शासन को सुसंगत प्रस्ताव/संस्तुति उपलब्ध करायेगी उन्होनें बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में चिकित्सा,शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान विकास कार्य एवं प्रैक्टिस करने हेतु दिनांक 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया है, इसके अनुपालन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा क्रमशः दिनांक 2 सितम्बर, 2013 एवं 14 मार्च, 2016 को समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 एवं समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को आदेश जारी किये जा चके हैं। बैठक को सम्बोधित करते हुए शाहजहांपुर से आये हुए डा0 अम्मार–बिन–साबिर ने कहा कि सरकार के रूख से हम सब प्रसन्न हैं अब हम लोगों का दायित्व है कि केवल कार्य में लग जायें एवं निःशुल्क शिविर लगाकर जरूरतमन्दों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाकर इलेक्ट्रो पैथी की पहचान जन–जन तक करायें।

मऊ से आये हुए डा0 अयाज अहमद ने कहा कि सरकार का रूख सकारात्मक है और यह आज से नहीं बल्कि हमारे बोर्ड के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार का रूख सन् 2012 से ही सकारात्मक है, तभी तो उन्होंने हमारे बोर्ड के लिए 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया था, हम सरकार के आभारी हैं। माँ सरजू देवी मेडिकल इन्सटीच्यूट, लखीमपुर के संचालक डा0 राकेश शर्मा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज की स्थिति में हम मज़बूत हैं, हमें किसी प्रकार से नहीं डरना चाहिये यदि कोई अधिकारी हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो हमें उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से करनी चाहिये, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदशील हैं और उनका दृष्टिकोण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रति बहुत ही सकारात्मक है।

शाहगंज जौनपुर से आये डा0 एस0एन0राय ने बैठक में अपने विचार रखते हुए बताया कि हमारे पास बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार बिल्डिंग है उसमें ओ0पी0डी0 भी चलती है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रचार व प्रसार के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, इसमें हमें सफ़लता भी मिल रही है, स्थानीय प्रशासन से हमे सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, हम जरूरतमन्दो की अपनी पैथी द्वारा मदद कर रहे हैं,एवं हर महीने पुराने छात्रों की बैठक करते हैं।

ए0ई0एच0 मेडिकल इन्सटीट्यूट रायबरेली के संचालक डा0 पी0एन0कुशवाहा ने कहा कि हम प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं, सरकार के रूख से प्रतीत हो रहा है कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी संरक्षण अवश्य मिलेगा सरकार का रूख हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमें कार्य करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, जब कभी कोई अड़चन डालने का प्रयास करता है तो बोर्ड उसका अपने स्तर से समाधान कर देता है, उन्होने अपने क्षेत्र के एक मामले में बताया कि एक अधिकारी हमारे जनपद के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे थे तो उन्होंने बोर्ड को बताया तो बोर्ड ने प्रदेश के उच्च अधिकारियो को अवगत कराते हुए उस अधिकारी की शिकायत कर दी उसके बाद उनके जनपद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के सस्थापक एवं प्राचार्य डा0 आर0के0 कपूर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि अवध कालेज प्रदेश ही नही बल्कि देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है, बड़े बड़े आयोजन रैलियों एवं शोभा यात्राओं का संचालन करता रहा है समय समय पर स्थानीय प्रशासन को अपनी गतिविधियों से अवगत भी कराता रहा है, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जनपद लखनऊ में व आस पास जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनमें से अधिकाधिक सम्बन्ध किसी न किसी रूप में अवध कालेज से अवश्य रहा है। सरकार की वर्तमान गतिविधियों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमने 1982 से जिस कार्य को शुरू किया था उसका फल मिलता दिखायी दे रहा है, डा0 कपूर ने कहा कि आज के वर्तमान परिदृश्य में जब मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है तो हमें भी मीडिया में छा जाना चाहिये, वैसे हमारे साथी सोशल मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से निःशुल्क चिकित्सालय एवं शिविरों का आयोजन करना चाहिये यदि बोर्ड औषधियां उपलब्ध करा दे तो मैं अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ विदित हो कि डा0 कपूर द्वारा संचालित सांई धाम में प्रति माह 7 तारीख को वृहद आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में जनसमूह सम्मिलित होता है, जन समर्थन जुटाने का लाभ इससे उठाया जा सकता है डा0 कपूर के प्रस्ताव का कर्तल ध्वनि से स्वागत किया गया, डा0 कपूर ने सरकार के रूख का स्वागत करते हुए सभी लोगों से कहा कि हमें मनोबल बढ़ाकर अब कार्य में लग जाना चाहिये। सिरसागंज (फिरोजाबाद) के डा0 इसरार खान ने बैठक में बताया कि मेरे जनपद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हमारे यहां शुद्ध रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से प्रैक्टिस होती है, सरकार की वर्तमान पहल से हम प्रसन्न हैं हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वह प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य लाभ हेतु गम्भीर है। इटावा से पधारे डा0 एखलाक ने अपने विचार रखते हुए बताया कि हम लोगों को अब कार्य के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिये, भारत सरकार एवं राज्य सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ है, जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है वह प्रशंसनीय है अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सको को चाहिये कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से कार्य करें एवं अपना दायित्व समझें। मंचासीन डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने दायित्वों को समझकर पैथी के सन्तुलित और समन्वित विकास के लिए लग जाना चाहिये, देश व प्रदेश की सरकार आपको सरकारी संरक्षण की ओर ले जा रही है अब आपकी बारी है कि आप अपना कौशल दिखायें। डा0 मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सदैव बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रति सकारात्मक रूख अपनाया है जो भी सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए नियम/उपनियम बनायेगी उसमें बोर्ड की सहभागिता अवश्य होगी क्योंकि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही प्रदेश की एक मात्र ऐसी संस्था है जो शुरू से रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सरकार के सम्पर्क में है, इसी कारण प्रदेश सरकार ने बोर्ड को शासनादेश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग ने भी बोर्ड के लिये दो दो पत्र जारी किये हैं, प्रदेश में सबसे मज़बूत स्थिति बोर्ड की ही है अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि निःसन्देह प्रदेश में बोर्ड की अग्रणी भूमिका रहेगी।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट/इन्सटीट्यूट/ स्टडी सेन्टर्स के प्रमुखों की बैठक में डा0 एखलाक़ अहमद इटावा अपना पक्ष रखते हुये – छाया गज़ट

अनावश्यक मुकदमे बाज़ी करती है नुकसान

आजकल छत्तीसगढ़ राज्य का मामला बहुत ही चर्चा में है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भुवनेश्वर साहू बनाम छत्तीसगढ राज्य में 3 अक्टूबर, 2018 का जो आदेश जारी किया है यह अनावश्यक मुकदमे बाज़ी का परिणाम है, जब भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के प्रत्यावेदन पर दिनांक 21 जून, 2011 को आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रक्टिस शिक्षा और अनुसंधान की अनुमति दे दी थी और इस आदेश से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं है, इस आदेश की प्रति प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी गयी थी अर्थात यह आदेश पूरे भारत के लिए था, तो लोग अनावश्यक मुकदमे बाज़ी क्यों करते हैं ?यह बात तो वही लोग बता सकते हैं जो मुकदमे बाज़ी करते हैं लेकिन यह ठीक नहीं है।

आपको याद होगा कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी लोग अनावश्यक मुकदमेबाज़ी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का नुकसान किया करते थे, बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसन, उ0प्र0 ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका योजित की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15 मार्च, 2004 को बोर्ड के पक्ष में आदेश जारी करते हुए उ0प्र0 सरकार को निर्देशित किया था कि याची के आवेदन का निस्तारण माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों के अनुरूप आदेश जारी करें जिससे याचीगणों का किसी प्रकार उत्पीड़न न हो, इतना अच्छा आदेश होने के बाजजूद लोगों ने केवल इस लिए अनेक याचिकायें माननीय न्यायालय में लगा दीं कि कोई आदेश उनके नाम से भी हो जाये। उन याचिकाओं का क्या हुआ ! आप सब जानते ही होंगे सारी याचिकायें खारिज हो गयी थीं और एक याचिका में माननीय न्यायालय ने इतना खराब आदेश किया था जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुँच गयी थी, यह अनावश्यक मुकदमे बाज़ी का ही दुःषपरिणाम था।

जब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति बहुत ही नाजुक थी तो बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र ने लाम्बित रजिस्ट्रेशन के प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु पुनः पैथी के हित में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका सं0 4688 योजित कर निर्देश देने की मांग की, जिसमें माननीय न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट आदेश जारी किया जिसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी किया जो प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसला एक तरफ़ा है या फिर वादी माननीय न्यायालय को बता नहीं पाये कि केन्द्र सरकार का रूख पैथी के प्रति क्या है ! अभी कुछ समय पूर्व ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमें में 1 मई, 2018 को बताया है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रतिबन्ध नहीं है, विदित हो कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा व शिक्षा जारी रखने के लिए भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी संस्थायें बैचलर व मास्टर डिग्री अथवा डिपलोमा जारी नहीं करेंगी और इसके चिकित्सक अपने नाम के साथ डाक्टर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जारी दिशा निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित लगभग एक दर्जन गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में रखा गया है, इसी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आयुर्वेद,यूनानी तथा होम्योपैथी ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों को पूरा करती है, इसके अतिरिक्त अन्य पद्धतियां जो मापदण्डों को पूरा नहीं करती हैं उनको मान्यता प्रदान न करने की संस्तुति सरकार को प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो याचिका(यें) योजित की गयीं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से क्यों नहीं लगायी गयीं ?क्या इसमें याचिकाकार्ताओं का कोई स्वार्थ निहित था ?क्या मध्य प्रदेश में प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं से किसी तरह प्रभावित थे या कि उनकी साख का लाभ उठाना चाहते थे ? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशों में निरन्तर यह व्यक्त किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है फिर इस प्रकार के मुकदमें लगाने की क्या आवश्यकता है ऐसा आभास होता है कि कारण जो भी हों याचिकाकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई होमवर्क नहीं किया गया और अपने अधिवक्ता को भी अपना पक्ष/कथन समुचित ढंग से समझा नहीं पाये इस कारण इस प्रकार का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।

जारी आदेश से सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के आदेशों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के जारी आदेशों की पुर्नव्याख्या करनी पड़ेगी।

इस व्यवस्था का दोषी माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के आदेशों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के उन चिकित्सकों एवं संगठनों को ठहराया जायेगा जिन्होंने बिना सोचे समझे इस तरह की याचिकायें योजित कीं जिनसे इस तरह के परिणाम आये। उन लोगों को चाहिये कि अब अपने किये पर पुनर्विचार करें और भविष्य में कोई नयी याचिका योजित करने की प्रयास न करें, जारी आदेश पर जानकारों से विचार विमर्श करे तथा कार्य करने के लिए मार्ग तलाशें यदि इसके विपरीत उनके मन में कोई अन्य विचार आयेगा उसका परिणाम वही होगा जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो विरोधाभाषी आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें एक सुख प्रदान करने वाला था और दूसरा पूरे देश को पीड़ित करने वाला था।

अब सम्बंधित पक्षकारों एवं भावी रणनीतिकारों को ही इसपर विचार करना है कि वे क्या करें–क्या न करें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने अपना 62 वां जन्म दिवस बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय में समस्त स्टाफ़ के बीच धूम–धाम से मनाया बायें से डा0 इदरीसी चॉक्लेट केक काटते हुये एवं श्री ज़फर इदरीसी व मारिया इदरीसी केक खिलाते हुये

behm.up@rediffmail.com
Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.
Recognised by Government of U.P.
Approved by Directorate General of Medical & Health Services, U.P.

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठयक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में स्टडी सेन्टर्स के स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करता है

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ़्फ़र नगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, हरदोई,सीतापुर, फ़ैज़ाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, बलिया, ग़ाज़ीपुर,वाराणासी,चन्दौली,भदोई, औरैया,फर्रुखाबाद एवं कन्नौज आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Member of Board of Electro Homoeopathic	M.B.E.H.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	Three Years
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	Registered Practitioner Any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years